बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0–39–09/2026–403 पटना, दिनांक–1/7/26

–::: कार्यालय आदेश :::–

श्रीमती निहारिका कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा–6 से 8), विषय–गणित एवं विज्ञान, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, वैशाली को उनके द्वारा समर्पित अभ्यावदेन एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में श्रीमती निहारिका कुमारी को अभ्यावेदन में अपने बच्चे के उल्लेखित स्वास्थ्य कारणों से बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता के नियम–220A एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–640, दिनांक–19.01.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में शिशु देखभाल हेतु दिनांक–01.07.2026 से 28.09.2026 तक कुल–90 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

2–प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

1/7/2026

(गोपाल प्रसाद)
उप निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0–39–09/2026–403 पटना, दिनांक–1/7/26

प्रतिलिपिः–जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, वैशाली को निदेश है कि श्रीमती निहारिका कुमारी के शिशु देखभाल अवकाश की अवधि में आंतरिक व्यवस्था के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

2– श्रीमती निहारिका कुमारी, प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा–6 से 8), अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/7/2026

उप निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एवं संधा0–39–09/2026–403 पटना, दिनांक–1/7/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/7/2026

उप निदेशक।

"D:\MD ARIF\Office Order\Office Order.docx"